ओपन स्कूल्स

पढ़ाई को लगाएं पंख

अगर कमजोर आर्थिक स्थिति या अन्य किसी कारण आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई या अधूरी रह गई, तो चिंता न करें। ओपन माध्यम से आप स्कूली पढ़ाई आसानी से पूरी कर सकते हैं। यहां से दसवीं, बारहवीं के अलावा जॉब-ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्स भी घर बैठे किए जा सकते हैं। आपने मेहनत और लगन से कोर्स किया है इसके आधार पर नौकरी भी आसानी से पा सकते हैं...

हाल के वर्षों में भारत में ओपन स्कूल के प्रति रुचि तेजी से बढ़ी है। ऐसा इसलिए कि ओपन स्कूल्स में स्टूडेंट्स बिना स्कूल आये अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। अभी के ताजा आंकड़ों की मानें, तो करीब एक करोड़ (10 मिलियन) छात्र इस माध्यम से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं, ओपन स्कूल्स के कारण सुदूरवर्ती गांवों में रहने वाले लाखों युवाओं को अफोर्डेबल फीस में क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है। एक अनुमान के मुताबिक, ओपन के जरिए पढ़ाई करने वाले लोगों की संख्या अगले दशक तक दोगुनी हो जाएगी। हमारे देश में इसका महत्व इसलिए भी है, क्योंकि शिक्षा में भारत का सकल नामांकन अनुपात अभी भी सिर्फ 12 प्रतिशत है, जबकि विकसित देशों में यह अनुपात 70 प्रतिशत के लगभग है।

यह भी एक वजह है कि हमारी सरकार के साथ-साथ देश में कई शिक्षाविद 'ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाने' और शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए शिक्षा के एक अन्य माध्यम के तौर पर ओपन एजुकेशन के विकास पर जोर दे रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप देश में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान तथा ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, राज्य ओपन स्कूल जैसे तमाम मुक्त शैक्षिक संस्थान राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में ग्रामीण और जरूरतमंद लोगों तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ वोकेशनल या शॉर्ट-टर्म कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं, जो उन लोगों के लिए बेहतर करियर बनाने में मददगार साबित हो रही है, जो किसी कारण पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए।

ओपन की विशेषताएं

ओपन स्कूल्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे लोग जो खराब आर्थिक स्थिति के चलते या फिर किसी अन्य कारणवश अपनी पढाई पूरी करने में असमर्थ हैं, उन्हें कम पैसों में शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है।

इसके अलावा, जो लोग नौकरी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके हैं, वे भी इन ओपन स्कूल्स के माध्यम से अपनी रुचि के क्षेत्र में वोकेशनल कोर्स करके कुशलता हासिल कर सकते हैं। इससे बेहतर करियर अच्छा करियर बना सकते हैं। ओपन स्कूलिंग में यह भी सुविधा है कि आप अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी विषय चुन सकते हैं। इसमें प्रवेश पाने के लिए अधिकतम आयु की भी सीमा नहीं होती। इन ओपन स्कूल्स से आप बेसिक एजुकेशन, दसवीं, बारहवीं के अलावा वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं।

तकनीक का फायदा

ग्रामीण मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के चेयरमैन डॉ. शबाब आलम के मुताबिक, मुक्त विद्यालय प्रणाली में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा है। इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है और विद्यार्थी कहीं भी, कभी भी अपने कोर्स से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। लेख, ब्लॉग आदि पढ़ सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में भाग ले सकते हैं। वर्चुअल क्लास रूम्स, स्वाध्याय सामग्री, रिकॉर्डेड प्रस्तुतियों और शेयर्ड ब्राउजिंग का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, छात्रों को सेल्फ लर्निंग मैटीरियल दिया जाता है, जिसमें सहायता के लिए हर सेंटर पर कॉन्टैक्ट क्लासेज होती हैं।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने हाल में एलान किया था कि केंद्र बीच में स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों को मुक्त विद्यालयी व्यवस्था के जरिये कम-से-कम माध्यमिक शिक्षा पूरी करने को लेकर प्रेरित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने पर विचार कर रही है। वैसे भी अभी हर साल करीब पांच लाख छात्र इस व्यवस्था के जरिये अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं।

आकर्षक वोकेशनल कोर्सेज

दसवीं और बारहवीं के अलावा ओपन स्कूल्स कई प्रकार के वोकेशनल कोर्सेज भीउपलब्ध कराते हैं, जैसे-फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी कल्चर, जेरियाट्रिक केयर, हेयर स्टाइलिस्ट, फुटवियर टेक्नोलॉजी ऐंड लेदर गुड्स मेकिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, ट्रैवल ऐंड टिकटिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फाइनेंस, एकाउंटेंसी ऐंड ऑडिटिंग, इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रूमेंट्स रिपेयरिंग आदि। इसके आलावा, इंजीनियरिंग,पैरामेडिकल, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, फायर ऐंड सेफ्टी, कंप्यूटर और आइटी से जुड़े सौ से ज्यादा कोर्सेज हैं।

योग्यता एवं आवेदन

सेकंडरी कोर्स में प्रवेश के लिए आठवीं पास होना जरूरी है, जबकि सीनियर सेकंडरी सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए दसवीं पास होना अनिवार्य है। स्टूडेंट सेकंडरी तथा सीनियर सेकंडरी सर्टिफिकेट के आधार पर किसी भी वोकेशनल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ओपन स्कूल्स में प्रवेश के लिए चाहें, तो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं या फिर नजदीकी सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे वोकेशनल कोर्स में पूरे वर्ष एडमिशन होते रहते हैं। स्टूडेंट किसी भी वक्त इन ओपन स्कूल्स में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जागरण फीचर

प्रमुख संस्थान

- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा www.nios.org
- ग्रामीण मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली www.gmvss.ac.in
- राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर www.rsos.rajasthan.gov.in
- छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल, रायपुर www.cgsos.in

SARVOTTAM Institute of Technology & Management
Approved by AICTE, Affiliated to Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, UP
BEST PLACEMENT RECORD
REGISTRATION OPEN
B.TECH./MBA
Campus at NOIDA EXTENSION
• 10 minutes drive from Noida City Centre Metro Station
Campus : Plot No. 6, Techzone IV, Noida Extn.
Call : 08800392711, 08800392713, 09999560614
www.sarvottam.org

KIKI CENTRE FOR TECHNOLOGY
Handwerkskammer Koblenz (German Chamber of Skilled Craft)
पढ़ाई के साथ कमाई
FOR 10TH/12TH PASS (ALL STREAMS)
3½YEARS GERMAN TECHNICAL TRAINING COURSE
ADMISSION OPEN
COURSES
MECHANICAL: • Tool & Die Manufacture & Design • Precision Machining Technology
ELECTRICAL/ELECTRONICS: • Mechatronics (Automation & Robotics)
CAREER OPPORTUNITY IN: Car Company, Motorbike Company, Automobile Ancillary, Machine Manufacturing, Robotics Company, Engineering Firms etc.
100% PLACEMENT RECORD
CALL: 08800288994, 09899479764 | kikicentre.com
PLOT NO. 33, SECTOR 3, IMT MANESAR, GURGAON.
PH. 0124-4060694/95, EMAIL: INFO@KIKICENTRE.COM

एआइसीटीई-ईसीआइ

इंजीनियरिंग-मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य

देश के विभिन्न कॉलेजों में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अब छह माह की अवधि का इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। ऐसा इसलिए ताकि छात्रों में इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार कौशल विकास किया जा सके। इस बाबत इंजीनियरिंग काउंसिल ऑफ इंडिया (ईसीआइ) और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीई) ने बकायदा एक एमओयू भी साइन किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधीनस्थ ये संस्थाएं अपने सहयोगी सदस्यों के साथ मिलकर छात्रों को यह इंटर्नशिप दिलाएंगी। इसके तहत छात्रों को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार नौकरी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इंटर्नशिप पूरा होने पर छात्रों के परफार्मेंस की परीक्षा भी होगी। इंटर्नशिप कुल 6 माह की अवधि का होगा। इसमें एक मीडियम टर्म प्रोग्राम और दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होगा। मीडियम टर्म प्रोग्राम के तहत दो-दो माह की अवधि के तीन शॉर्ट टर्म माड्यूल बनाए गए हैं, जिसे कोर्स के दौरान हर साल गर्मी की छुट्टियों में करने की सुविधा होगी। जबकि लॉन्ग टर्म प्रोग्राम में एक माड्यूल एक माह की अवधि का और एक पांच माह की अवधि का होगा।

ADMISSIONS OPEN
FOR PARAMEDICAL DIPLOMA COURSES
MAX SkillFirst

S.No.	Diploma Courses	Affiliation	Eligibility	Duration
1	Medical Lab Technician	IMA + NIOS	12th Pass (any stream)	2 Years
2	Radiology Technician	IMA + NIOS	12th Pass (any stream)	2 Years
3	Dialysis Technician	IMA	12th Pass (any stream)	2 Years
4	Operation Theatre Technician	IMA	12th Pass (any stream)	2 Years

FEATURES: On the job training in Max Hospitals | Placement Assistance | Expert Faculty | Best-in-class Study Material
JOIN TODAY FOR A SUCCESSFUL CAREER IN HEALTHCARE INDUSTRY
For Admission Enquiry:
Max Skill First Limited,
Max Super Specialty Hospital,
Service Floor, W - 3, Sec - 1, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201012
M: +91 9870507401 Ph.: 0120-4173887
E-mail: admission@maxskillfirst.com

DPMI
DELHI PARAMEDICAL & MANAGEMENT INSTITUTE
"Come Reach the Skies with us"
India's Leading Paramedical Institute
ADMISSIONS OPEN 2017-18
Paramedical Courses
Diploma/Certificate Courses:
• Medical Laboratory Technology • Radiology Technology • Operation Theatre Technology • General Duty/Nursing Assistant • Phlebotomy Technology • Medical Emergency Technology • Ophthalmic/Optometry Technology • Multi-Purpose Health Worker • Blood Bank Technology • Cardiac Care Technology
Mass Communication Courses
Diploma/Certificate Courses:
• Advertising • Media Management • Editing • Web Journalism
Hotel Management Courses
Diploma/Certificate Courses:
• Housekeeping Supervisor/Attendant • Hotel Management & Catering Tech. • Bakery • Cookery & Confectionary • Food Production
Eligibility 10th/10+2 Science
Campus: B-20, New Ashok Nagar (Near New Ashok Nagar Metro Station) Delhi-110096
+91 7290005128/29/30 admissions@dpmiindia.com www.dpmiindia.com

राष्ट्रीय जागरण

एनएचआरसी की याचिका का राज्यों से जवाब मांगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की याचिका पर अपना जवाब सौंपने का निर्देश दिया है। आयोग ने अपनी याचिका में राज्यों को अपनी सीमा में हुई मुठभेड़ में मौत से संबंधित सूचना मुहैया कराना अनिवार्य बनाने वाला निर्देश देने की मांग की है। सूचनाएं मुठभेड़ हत्या की जांच के उद्देश्य से सौंपी जाएगी। जस्टिस एएम सप्रे और जस्टिस आर. भानुमति की पीठ ने राज्यों को जवाब सौंपने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। एनएचआरसी की ओर से पेश वकील शोभा ने कहा कि कुछ राज्यों ने अपना जवाब सौंप दिया है। लेकिन अभी तक कई राज्यों ने ऐसा नहीं किया है। वकील ने पीठ से उन राज्यों को जवाब सौंपने का अंतिम मौका देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि याचिका पर 2014 में राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया गया था। एनएचआरसी ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकारें और पुलिस अधिकारी उसकी मांग पर सूचनाएं मुहैया कराना जारी रखें। मानवाधिकार अधिनियम 1993 के प्रावधानों और दिशानिर्देश के अनुसार आयोग मुठभेड़ हत्या मामले की जांच के लिए सूचना मुहैया कराने को कहेगा।

जमीन मालिकों का मामला दायर करने पर एनजीओ पर जुर्माना

नई दिल्ली : जमीन मालिकों की ओर से मुकदमा दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ पर 50,000 रुपये जुर्माना किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि एनजीओ इस अदालत का मजाक उड़ा रहे हैं। एनजीओ ने पूर्वोत्तर में सड़क निर्माण के लिए ली गई जमीन को लेकर 10 जमीन मालिकों की ओर से मामला दायर किया था। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जमीन मालिक अपना मामला दायर करने में सक्षम हैं।

सरकार क्या प्राधिकरणों को खत्म कर देगी : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीमकोर्ट ने प्राधिकरणों को खत्म करने के प्रस्तावों की तादात देखते कड़ी नाराजगी जतायी। मीडिया रिपोर्टों को देखते हुए सर्वोच्च अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या वह न्यायिक प्राधिकरणो को खत्म करने की योजना बना रही है? जस्टिस एमबी लोकुर व दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने मंगलवार को अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या मीडिया की रिपोर्ट सही है? क्या सरकार प्राधिकरणों को खत्म करने जा रही है? उल्लेखनीय है कि राजग सरकार ने हाल ही में एक ऐसा कानून बनाने का प्रस्ताव किया जो प्राधिकरणों की तादाद को 36 से 18 कर दे। अदालत ने यह सवाल तब किया जब तुषार मेहता नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के एक आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

पद्मनाभस्वामी मंदिर के तहखाने को लेकर बने मिथकों की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट

मंदिर की सुरक्षा और प्रबंधों को लेकर अदालत ने जारी किए आदेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : अपनी अकूत संपत्ति व रहस्यों के लिए दुनियाभर में चर्चित केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट अध्ययन करेगा। हालांकि बी तहखाने को खोलने पर आदेश देने से मुख्य न्यायाधीश ने फिलहाल इन्कार कर दिया। उनका कहना है कि इस पर बाद में विचार किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर व डीवाई चंद्रचूड की बेंच को न्याय मित्र गोपाल सुब्रमण्यम ने बताया कि तहखाना बी को खोला जाना जरूरी है, क्योंकि मिथक है कि इसके भीतर रहस्यमय शक्ति है। उनका कहना है कि लोग बेवजह ही इसे खोले जाने पर विनाश की आशंका जता रहे हैं। उन्होंने अदालत से अपील की कि आइपीएस अधिकारी एच वेंकटेश को मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा दिया जाए। वह पहले तिरुवनंतपुरम के आयुक्त रह चुके हैं। उन्होंने मंदिर के खर्चों का आडिट कराने की मांग भी अदालत से की।

बेंच ने केरल सरकार से आग्रह किया कि महालेखा परीक्षक से बात करके ऑडिट के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया जाए। बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केएस राधाकृष्णन को मंदिर की सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी नियुक्त करने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि मंदिर का पुर्ननिर्माण 18 वीं शताब्दी में ट्रावनकोर के राजवंश ने कराया था। अब इसकी देखरेख राज परिवार की निगरानी में एक ट्रस्ट के जरिये किया जा रहा है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित पैनल ने इस मंदिर के नीचे बने कुल छह प्राचीन तहखानों में से पांच को खोल दिया था। तहखाना संख्या बी का दरवाजा अब तक नहीं खोला जा सका है। इसे खोलने पर रोक है।

बेंच ने कहा, हीरों के गायब होने के मामले में जांच चल रही है

भगवान के मुकुट से गायब हुए आठ हीरों के मामले में न्याय मित्र ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह इसे लेकर चल रही जांच की रिपोर्ट तलब करे। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने कहा कि अभी जांच में दखल देना जदल्बाजी होगी। न्याय मित्र से बेंच ने कहा कि वह जांच की प्रगति को लेकर बाद में अपील कर सकते हैं।

याची की रहस्यमय मौत

मंदिर के नीचे बने पहले पांच तहखानों को खोलने के तीन हफ्ते बाद ही टीपी सुंदरराजन (दरवाजों को खुलवाने की याचिका दाखिल करने वाले) की मौत हो गई। उसके बाद एक संस्था ने ये चेतावनी जारी कर दी कि अगर आखिरी कक्ष को खोलने की कोशिश भी की गई तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। जोसफ कैम्पबेल आर्काइव से जुड़े शोधकर्ता जोनाथन यंग के अनुसार वहां तीन दरवाजे हैं। चेंबर बी में लिखी चेतावनियों के बीच नागों, सांपों के चित्र भी बने हुए हैं।

मिला था अकूत खजाना

उस समय सभी भौचक रह गए जब मंदिर के नीचे बने पांच तहखानों के अंदर से तकरीबन 22 सौ करोड़ डालर का खजाना प्राप्त हुआ। इनमें बहुमूल्य हीरे-जवाहरातों के अलावा सोने के अकूत भंडार और प्राचीन मूर्तियां भी निकलीं। लाख मशक्कत के बाद भी चेंबर बी का दरवाजा नहीं खुला।

एनजीओ से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा सिक्किम और दार्जिलिंग के पिछड़ों का ब्योरा

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम व पं. बंगाल की आबादी में पिछड़े वर्ग के अनुपात का आंकड़ा एनजीओ से मांगा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जेएस खेहर ने एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण को आदेश दिया है कि 11 जुलाई तक इसका जवाब दाखिल करें। उनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि जब संविधान में इसकी व्यवस्था है तो इन दोनों राज्यों में भी इसे लागू किया जाए। अदालत ने कहा कि इसके लिए 2001 की जनगणना को आधार बनाना चाहिए। याचिका में कहा था कि सिक्किम में लिंबू व तमांग समुदाय की आबादी 2001 में 20.60% थी। 2011 में ये बढ़कर 33.8 हो गई। पं बंगाल के दार्जिलिंग में एसटी वर्ग 12.69 % था। 2011 में यह 21.4 हो गया। इसके बाद भी लोस व विस सीट के लिए दोनों राज्यों में उनका कोटा आरक्षित नहीं किया गया है।

तेजप्रताप ने तीन वर्ष की उम्र में की सेवा, दान में मिली 13 एकड़ जमीन

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को दावा किया कि पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी ने 1993 में तेजप्रताप यादव को 13 एकड़ 12 डिसमिल जमीन दान की। तेजप्रताप को गिफ्ट में यह भूमि तब मिली जब वे महज तीन वर्ष आठ माह के ही थे। दी गई जमीन मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना अंतर्गत किशुनगंज की है।

पोलो रोड स्थित अपने आवास पर मंगलवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि लालू-राबड़ी के 15 वर्षों के मुख्यमंत्रित्व काल व लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान नौकरी, ठेका, विधायक, सांसद, मंत्री बनाने या अन्य मदद के बदले जमीन लिखवाने का लंबा सिलसिला चला। सुशील के मुताबिक लालू नेताओं की मजबूरी का फायदा उठाते रहे और 'काम के बदले जमीन' की नीति अपनाकर 1000 करोड़ रुपये की संपत्ति बनाई। सुशील ने रमा देवी द्वारा तेजप्रताप को दान की गई जमीन से संबंधित दस्तावेज भी सार्वजनिक किए। उन्होंने सवाल किया कि तीन वर्ष आठ माह की उम्र में तेजस्वी ने रमा देवी की क्या खिदमत की, जिससे खुश होकर उन्होंने जमीन दान दे दी। सुशील के मुताबिक दानपत्र में लिखा गया है,- 'तेजप्रताप रमा देवी का प्यारा है। तेजप्रताप भी रमा देवी की खुशी का ख्याल रखते हैं। तेजप्रताप नाबालिग है फिर भी जहां तक संभव होता है रमा देवी की सेवा करते हैं।' क्या भाजपा अपने सांसद रमा देवी पर कार्रवाई करेगी, इस सवाल पर सुशील ने कहा कि यह काफी पुराना मामला है और तब रमा देवी भाजपा में नहीं थीं, इसलिए पार्टी उनसे कोई पूछताछ नहीं करेगी।

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा, लालू ने हर काम के बदले लोगों से ली जमीन

फेसबुक पोस्ट को लेकर बंगाल में भड़की हिंसा

जागरण संवाददाता, कोलकाता : फेसबुक पर डाली गई तस्वीरों को लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट सबडिवीजन के बादुरिया इलाके में हिंसा भड़क गई। एक समुदाय विशेष के लोगों ने उन तस्वीरों पर घोर आपत्ति जताते हुए उन्हें पोस्ट करने वाले समिक सरकार नामक युवक के घर में आग लगा दी। उन्होंने कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की और जगह-जगह मार्ग अवरुद्ध कर दिया। पुलिस जब उन्हें हटाने पहुंची तो उसके साथ भी संघर्ष हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए।

उत्तर 24 परगना जिले के पुलिस अधीक्षक भास्कर मुखर्जी की गाड़ी पर भी हमला किया गया, जिसमें उन्हें चोट आई है। हिंसा की आग स्वरूपनगर, बशीरहाट समेत आसपास के कई इलाकों में भी फैल गई। केंद्र ने भी हालात की गंभीरता को भांप पुलिस की मदद के लिए केंद्रीय बलों की तीन टुकड़ियां भेजी हैं। अशांत इलाकों में पुलिस व रैफ (रैपिड एक्शन फोर्स) की तैनाती की गई है। पुलिस ने उन तस्वीरों को पोस्ट करने वाले समिक सरकार को सोमवार रात ही गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से चार दिनों की रिमांड में भेज दिया गया। डर से आरोपी के घरवाले भाग गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सांप्रदायिक हिंसा फैली। दूसरी ओर प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर हालात पर काबू पाने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है।

हिंसा का सूत्रपात रविवार को हुआ। बादुरिया के रुद्रपुर के निवासी समिक ने फेसबुक पर कई तस्वीरें पोस्ट की थीं। उनके वायरल होते ही तनाव फैल गया। एक समुदाय विशेष के लोगों ने इसपर घोर आपत्ति जताते हुए सोमवार सुबह बादुरिया के मछलंदपुर में रास्ते पर अवरोध उत्पन्न करना शुरू किया। धीरे-धीरे अन्य जगहों पर भी मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया गया। दिन चढ़ने के साथ ही तनाव बढ़ने लगा। प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह टायर भी जलाए। हिंसक घटनाओं का दौर मंगलवार को भी जारी रहा।

हिंदू परिवारों पर किए गए हमले : विजयवर्गीय

भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि 2,000 से ज्यादा मुसलमानों ने हिंदू परिवारों पर हमला किया। उन्होंने कई जगहों पर बमबाजी की। हिंदू परिवार की कई बेटियों एवं बहनों से दुष्कर्म की भी सूचनाएं मिली हैं। भाजपा के पांच कार्यालयों में भी आग लगा दी गई।

राज्यपाल ने सांप्रदायिक हिंसा पर पूछे सवाल तो भड़कीं ममता

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना जिला एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल उठा है। घटना को लेकर मंगलवार दोपहर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात कर उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद राज्यपाल ने सीएम को फोन किया। राज्यपाल के सवालों पर ममता बनर्जी इस कदर भड़कीं कि उन्होंने राज्यपाल पर अपमान करने का आरोप जड़ दिया। मुख्यमंत्री ने बकायदा संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कहा कि राज्यपाल जिस भाषा में उनसे बात कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि वे राज्यपाल नहीं, भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष हों। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा देने तक की सोच ली थी। ममता ने कहा कि वह राज्यपाल की दया पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठी हैं। वह निर्वाचित हैं जबकि राज्यपाल केंद्र से मनोनीत हैं। राज्यपाल उन्हें धमका नहीं सकते। उन्होंने यह बात राज्यपाल को भी कही है। वह यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगी। सीएम ने कहा कि उन्हें जीवन में कभी इतना अपमान नहीं सहना पड़ा। उन्हें पद का कोई लालच नहीं है। ज्ञात हो कि राज्य के सियासी इतिहास में यह पहली घटना है जब मुख्यमंत्री ने राज्यपाल पर इस तरह मीडिया के समक्ष हमला बोला हो।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सनसनीखेज आरोपों पर राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने आश्चर्य व्यक्त किया है। राजभवन की ओर से जारी बयान में राज्यपाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान मंगलवार को जिस रवैये और भाषा का उपयोग किया उससे मैं आश्चर्यचकित हूं।

'गोरक्षक ही हो रहे हैं हिंसा के शिकार'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी चेतावनी के बाद कथित गोरक्षकों के मामले को विश्व हिंदू परिषद ने नया रंग दिया है। गोरक्षकों के खिलाफ बने माहौल को साजिश करार देते हुए विहिप के अंतरराष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने निर्यात घटने की आशंका से त्रस्त मांस निर्यातक लॉबी को कठघरे में खड़ा किया। झारखंड के रामगढ़ की घटना से पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि वहां पिछले कई सालों से विहिप या बजरंग दल की ईकाई ही नहीं है। विहिप ने आरोप लगाया कि गोरक्षकों के खिलाफ हिंसा को जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। लेकिन गो-तस्करों के हाथों गोरक्षकों और पुलिस के मारे जाने की घटनाओं पर चुप्पी साध ली जाती है। इसके कारण पूरे देश में गोरक्षकों के खिलाफ माहौल तैयार हो रहा है। सुरेंद्र जैन ने कहा कि इस दुष्प्रचार के प्रभाव में आकर कुछ लोग गोरक्षकों को अत्याचारी समझने लगते हैं, जो सरासर गलत है। गोरक्षा के प्रयास के दौरान मारे गए गोरक्षकों का आंकड़ा पेश करते हुए उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि गोरक्षक असल में अत्याचारी नहीं, बल्कि पीड़ित हैं। वैसे विहिप नेता गोरक्षा के नाम पर लोगों के मारे जाने को सही नहीं ठहरा पाए। जैन ने कहा कि हम सभी तरह की हिंसा के खिलाफ हैं। लेकिन सिर्फ गोरक्षकों की हिंसा की आलोचना करना और गोरक्षकों के साथ हो रही हिंसा पर चुप्पी साध लेना सही नहीं है। उनका कहना था कि गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर संतुलित तरीके से चर्चा होनी चाहिए और उसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। महात्मा गांधी, आचार्य बिनोवा भावे और दीनदयाल उपाध्याय के बयानों को रेखांकित करते हुए जैन ने देश में केंद्रीय गोरक्षा कानून बनाने और उसे कड़ाई से लागू करने की मांग की।

गोरक्षा के नाम पर हत्याएं हिंदुत्व के खिलाफ : शिवसेना

मुंबई, प्रेट्र : शिवसेना ने कहा है कि गोरक्षा के नाम पर किसी आदमी की हत्या करना हिंदुत्व के खिलाफ है। पार्टी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीफ पर एक राष्ट्रीय नीति लाने की मांग की है। गोरक्षा के नाम पर हाल के दिनों में भाजपा शासित झारखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भीड़ ने कुछ लोगों की पीट-पीट कर हत्या कर दी। इन घटनाओं के बाद इसके विरोध में आवाजें उठने लगी हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है, 'बीफ का मुद्दा खानपान की आदतों, कारोबार और रोजगार से जुड़ा है। इसलिए इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए।